Agreement copy between NPP Etawah & Contractor for door to door waste collection

ANNEXURE 5.2.1

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BN 640815

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत नगरीय अपशिष्ट के संग्रहण प्रथक्करण एवं परिवहन कार्य कराये जाने हेतु

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्ष–नगर पालिका परिषद, इटावा शहर व जनपद इटावा
द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद, इटावा।

एवं

द्वितीय पक्ष– एकार्ड हाइड्रोएयर प्रा0लि0, 3/153 विवेक खण्ड,गोमती नगर, लखनऊ (उ0प्र0)
साइट आफिस–कामेत, इटावा
द्वारा–अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता–एकार्ड हाइड्रोएयर प्रा0लि0

यह कि उभय पक्ष निम्नलिखित अनुबन्ध करते है।

1. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा दिनांक 23.09.2017 दिए गये पत्र प्रस्ताव के अनुसार, नगरीय ठोस अपशिष्ट संग्रहण, प्रथक्कीकरण व परिवहन कराये जाने हेतु निर्गत शासनादेश के अनुपालनार्थ उक्त कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित दर रू0 650.00 प्रति टन पर कार्य करने हेतु प्रथम पक्ष सहमत हैं।
2. यह कि कूडा एकत्रण एवं परिवहन निस्तारण के कार्य हेतु आवश्यक वाहन प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को उपलब्ध कराये जायेगें–

क्र0सं0	वाहनों का विवरण	नग
1	लोडर	03
2	ट्रेक्टर मय ट्राली	02
3	जे0सी0बी0	आवश्यकतानुसार
4	ट्रिपर	03
5	टाटा एस	आवश्यकतानुसार
6	बोबकेट (स्टीयर लोडर)	01
7	हाथ गाडी रिक्शा	50
8	हाथ गाडी	आवश्यकतानुसार
9	रिफ्यूज कलैक्टर, डिब्बे सहित यथास्थित	01
10	डम्पर प्लेसर, डिब्बे सहित यथास्थित	01

3. प्रथम पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन/उपकरण पूर्णता चालू हालात एवं सम्बन्धित उपकरण एवं कूडे के ढुलान, निस्तारण हेतु प्रयुक्त होना अनिवार्य होगा।

क्रमशः....2

ACCORD HYDROAIR PVT. LTD.

12/10/17

ANNEXURE 5.2.1

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये ₹.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 640816

4. यह कि पालिका द्वारा चालू स्थिति में जो वाहन व कन्टेनर/डिब्बे द्वितीय पक्ष को उपलब्ध कराये जायेगें वह चालू स्थित में ही द्वितीय पक्ष से वापस लिये जायेगें। एवं टूट-फूट व मरम्मत की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
5. यह कि अनुबन्ध में वाहनों/उपकरणों के मेन्टीनेन्स, डीजल, मोबिल आयल का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा एवं समय-समय पर वाहनों की सर्विस भी करवाना अनिवार्य होगा।
6. यह कि ढुलान व डोर-टू-डोर कूडा एकत्रीकरण/प्रथक्कीकरण हेतु आवश्यक श्रमिकों की नियुक्ति/वेतन इत्यादि का भुगतान का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।
7. यह कि द्वितीय पक्ष को कूडे को डोर-टू-डोर कलेक्शन/एकत्रीकरण व कूडे प्रथक्कीकरण कर ढुलान कर निस्तारण हेतु प्लान्ट पहुँचाना अनिवार्य होगा। इसी के साथ वार्डवार भवनों की सूची नाम सहित क्रमवार पालिका को उपलब्ध करानी होगी जिससे यूजर चार्ज के प्रेषित बिलों की कार्यवाही एवं यूजर चार्ज वसूली की कार्यवाही नगर पालिका द्वारा सुनिचित की जा सके।
8. यह कि द्वितीय पक्ष अपने कर्मचारियों को इस निर्देशन से डोर-टू-डोर कलेक्शन का कार्य करावेगा कि वह कार्य क्षेत्र में प्रत्येक भवन स्वामियो को नीले डिब्बे व हरे डिब्बे में अलग-अलग कूडे रखने की जानकारी देगा। उक्त कर्मचारी समय निर्धारित कर कार्यक्षेत्र में पहुँचकर सीटी बजाकर कूडा उठायेगा।
9. यह कि प्रथम पक्ष पालिका में उक्त कार्ययोजना से सम्बन्धित सूचनार्थ रखे पर्चा/पम्पलेटों को द्वितीय पक्ष प्राप्त कर अपने कर्मचारियों से घर-घर वितरण कराना सुनिश्चित करेगा।
10. यह कि द्वितीय पक्ष को कूडे के ढुलान व डोर-टू-डोर एकत्रीकरण व प्रथक्कीकरण के कार्य का माह समाप्ति उपरांत बीजक बिल अगले माह के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करना होगा। पालिका द्वारा प्रेषित बिल का परीक्षण कर 10 दिनों अन्दर द्वितीय पक्ष को भुगतान किया जाएगा। जिससे ढुलान व डोर-टू-डोर एकत्रीकरण व प्रथक्कीकरण का कार्य वित्तीय कारणों से प्रभावित न हो सके।
11. यह कि उक्त कार्य में आने वाली आकस्मिक समस्याओं/कठिनाईयों का समाधान दोनों पक्षो द्वारा आपसी सहमति से निस्तारण किया जायेगा।
12. यह कि अनुबन्ध आलेख पत्र पर हस्ताक्षर की तिथि से दो वर्ष तक प्रभावी होगा तत्पश्चात आपसी सहमति से अनुबन्ध की अवधि बढाई जा सकती है एवं समय से पूर्व कार्य छोडने पर फर्म को ब्लेक लिस्ट किए जाने की कार्यवाही अमल में लाई जायेगी व जमा बधंक धनराशि को जब्त कर लिया जाएगा।
13. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा चिन्हित कूडा स्थलों पर ही द्वितीय पक्ष द्वारा डोर-टू-डोर किया गया कूडा कलेक्शन परवहन/ढुलान किया जा सकेगा।
14. यह कि कूडे वजन हेतु एक कर्मचारी नगर पालिका परिषद इटावा से अधिकृत किया जायेगा। तथा एक कर्मचारी द्वितीय पक्ष का होगा। कांटे की रसीद दोनों कर्मचारियों के हस्ताक्षर के बाद ही मान्य होगी।

क्रमशः...3

ACCORD HYDROCAR PVT. LTD.

17/10/17

ANNEXURE 5.2.1

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 25AD 055404

15. यह कि आपके कामेत स्थित प्लान्ट का निरीक्षण पालिका अध्यक्ष, अधिशाषी अधिकारी, वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी, मु0स0 एवं खाद्य निरीक्षक व सफाई निरीक्षक, शासन स्तरीय अधिकारी व स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कभी भी किया जा सकता है।
16. यह कि बिना बीमा के कोई भी वाहन न तो दिया जायेगा और ना ही बिना बीमा के वापस लिया जायेगा।
17. यह कि समय–समय पर शासन एवं पालिका के प्रस्ताव भी द्वितीय पक्ष को मान्य होगें।
18. राष्ट्रीय पर्वो एवं मुख्य धार्मिक पर्वो व धार्मिक स्थलों के आस–पास चिन्हिन पडावों से कूडा उठान अतिरिक्त रूप से भी करना अनिवार्य होगा।
19. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहनों की अनुमानित कीमत रू0 1,45,00,000.00(रू0 एक करोड पैतालिस लाख) मात्र है। जिसके सापेक्ष में रू0 2,00,000.00 की एफ0डी0आर0 अधोहस्ताक्षरी के नाम द्वितीय पक्ष को बन्धक करनी अनिवार्य होगी।
20. यह कि निधारित स्थलों पर रखे गये कूड़ा कंटेनरों को पलट कर कूडा उठान के कार्य को प्रतिदिन किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त स्थल को साफ–सफाई, चूना, कीटनाशक छिडकाव आदि कार्य कराने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी। यदि नगर पालिका परिषद के अधिकृत कर्मचारी व अधिकारियों के निरीक्षण दौरान कूडा न उठाने पर व सफाई व्यवस्था के कार्य में कमी पाई जाती है तो किए गये निरीक्षण दिनांक को जुर्माना बतौर प्रति ढलाव स्थल पर रू0 1,000/– जुर्माना व निर्धारित स्थलों पर रू0 1,000/–जुर्माना द्वितीय पक्ष के प्रेषित बीजक बिलों से कटौती कर ली जायेगी
21. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा रू0 100.00 के नान जुडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध कराना होगा। यदि शासन द्वारा प्रेषित टीम द्वारा स्टाम्प राशि के सम्बन्ध में कोई आपत्ति की जाती है तो इसकी प्रतिपूर्ति की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
22. यह कि द्वितीय पक्ष यदि अनुबन्ध की शर्तो के विरूद्ध कोई कृत्य करेगा तो प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह आपके कृत्य से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति द्वितीय पक्ष की चल–अचल सम्पत्ति से भू–राजस्व की भॉति वसूल करलें।
23. यह कि चिन्हित पडाव घरों की सूची एवं डोर–टू–डोर कलेक्शन हेतु वार्डो की सूची संलग्न है।
24. यह कि पूर्व अनुबन्ध अनुसार पालिका द्वारा दिए गये वाहनों में अवशेष खराब गाडियॉ जोकि उक्त फर्म के पास हैं जिनकी मरम्मत कराकर नगर पालिका को हस्तान्तरित करने के उपरांत ही फर्म को अवशेष 2 माह का पूर्व से रूका हुआ भुगतान किया जा सकेगा।
25. यह है कि द्वितीय पक्ष को रू0 650.00 प्रति टन की दर से एक वर्ष तक भुगतान किया जावेगा। एक वर्ष की अवधि समाप्ति उपरांत ट्रिपिंग शुल्क में 02 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक की धनराशि बढोत्तरी किए जाने को आपसी सहमति पर ही भुगतान किया जावेगा।

ACCORD ... PVT. LTD.

क्रमशः....4

12/10/17

ANNEXURE 5.2.1

26. यह कि कार्यरत सफाई श्रमिकों को वेश–भूषा/ड्रेस व सुरक्षा से सम्बन्धित सभी उपकरण द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा एवं विना वर्दी के कोई भी सफाई श्रमिक कार्य नहीं कर सकेगा।
27. यह कि श्रमिकों के किसी भी प्रकार के वेतन व अन्य भत्ते, मेडिकल सुरक्षा सम्बन्धी व्यय भार एवं रजिस्ट्रेशन आदि की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
28. यह कि द्वितीय पक्ष को प्रतिदिन दो पालियों में (प्रथम पाली में प्रातः समय एवं द्वितीय पाली सांयकाल) सफाई करायी जानी अनिवार्य होगी।
29. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को प्राप्त कराये गये समस्त वाहनों को पालिका द्वारा चिन्हित किए गये स्थानों पर ही कार्य समाप्ति के बाद खडे किया जाना अनिवार्य होगा।
30. यह कि नगर पालिका द्वारा भविष्य में पेट्रोल पम्प खोलने की योजना है, पेट्रोल पम्प खुलने के उपरांत द्वितीय पक्ष को प्रयोग हेतु समस्त ईधन नगर पालिका के पम्प से ही लेना होगा। एवं जिसका भुगतान द्वितीय पक्ष को समय से करना होगा।
31. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा नगरीय अपशिष्ट के संग्रहण, प्रथक्कीकरण व परिवहन कार्य संतोषजनक न करने पर द्वितीय पक्ष के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए किसी भी समय अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष के सक्षम अधिकारी में निहित होगा।
32. यह कि किसी भी समय प्रथम पक्ष को आवश्यकता पडने पर द्वितीय पक्ष को वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
33. यह कि द्वितीय पक्ष प्लान्ट पर कूडा ले जाकर वैज्ञानिक विधि से कूडे का निस्तारण मानकों के अनुरूप करेगा एवं बनाई गई खाद का विक्रय नियमानुसार करेगा।
34. यह कि प्लान्ट को सुव्यवस्थित रखते हुये उसका संचालन विधिवत रखना अनिवार्य होगा। उक्त प्लान्ट का निरीक्षण उच्च अधिकारियों के भ्रमण दौरान किसी भी समय किया जा सकेगा।
35. प्रथम पक्ष या द्वितीय पक्ष द्वारा किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर न्यायालय क्षेत्र इटावा ही होगा।

अतः इकरार नामा (अनुबन्ध पत्र) लिख दिया। ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष

17/10/17

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

ACCORD HYDROAIR PVT. LTD.

Nagar Palika Parishad Etawah

ANNEXURE 5.2.1

Self -Declaration

To whom so ever, it may concern

It is certified that in Nagar Palika Parishad Etawah, the door to door waste collection is 100% (Approx.) of total houses in all 40 wards.

Anil Kumar
Executive Officer
Nagar Palika Parishad Etawah

ANNEXURE 5.2.1

Door to door Collection N.P.P Et